ग्राम पंचायत भप्पू, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भप्पू, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त रहेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुमन शर्मा	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमती हरवंश कौंर	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री ओंकार चन्द	01.04.13 से 18.6.13
2	श्रीमती मीना कुमारी	19.6.13 से 31.03.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत भप्पू के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	7	खाता–ख में अर्जित ब्याज को खाता क में अन्तरित न करना।	0.25
2	8	अनुदान का उपयोग न करना।	10.16
3	9	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय ।	1.99

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत भप्पू, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28.9.16 से 4.10.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 4/13, 3/15 व 11/15 तथा 1/14, 12/14 व 8/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाली किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत भप्पू, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 162 दिनांक 4.10.2010 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत भप्पू से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत भप्पू द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत भप्पू के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	433929	892612.00	1326541.00	946325.00	380216
2014–15	380216	328590.50	708806.50	472902.50	235904
2015–16	235904	224603.00	460507.00	381364.00	79143

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत भप्पू के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	87269	1526324.50	1613593.50	1455350	158243.50
2014–15	158243.50	1828495.00	1986738.50	1759692	227046.50
2015–16	227046.50	2244180.00	2471226.50	1455198	1016028.50
			स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग		**₹1095171.50**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	निधि का नाम	KCCB इन्दौरा में खाता सं0	राशि
1	सभा निधि	20076007215	79143
2	मनरेगा	20076007522	0
3	IAY/ACAY	50055521675	77
4	TSC	50055521664	21907
5	3rd State	50055521711	81800.50
6	13वां वित्त	50055521653	904775
7	SDP/VRVNY	50060625102	6853
8	MMGPY	3139725906	470
9	MPLAD	50061851142	146
		जोड़	₹1095171.50

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.25 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रत्येक प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

	वर्ष			
खाता संख्या	2013–14	2014–15	2015–16	कुल ब्याज (₹)
20076007522	2927	–	–	2927
50055521675	1212	948	77	2237
50061851142	–	–	146	146
50055521664	299	991	2117	3407
50055521711	587	2858	3338	6783
3139725906	–	–	470	470
50055521653	877	1496	3701	6074
50060625102	–	1177	1466	2643
जोड़	**5902**	**7470**	**11315**	**24687**

8 अनुदान ₹10.16 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1016028 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.99 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹199168 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक संकर्म के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹524280 का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः निर्माण कार्यों का निष्पादन सहभागी समिति के गठन के बिना करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों का निष्पादन सहभागी समिति के गठन के बाद करना सुनिश्चित किया जाए।

11 क्रय की गई ₹2780 की लेखन सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्टॉक/स्टोर फार्म 25 से 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है। वाउचर संख्या 93 दिनांक 23.2.15 के अन्तर्गत मै0 अभिनय ऑसैट प्रिंटर्ज से ₹2780 की लेखन सामग्री की खरीद की गई जिसका इन्द्राज फार्म 28 में नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत जैसे कि गृह कर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

16 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 46/2016–खण्ड–1–1594–1597 दिनाँकः09.03.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत भप्पू, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

ग्राम पंचायत भप्पू विकास खण्ड इन्दौरा (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

(परिशिष्ट–2) (पैरा–9 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक	निधि	विवरण	राशि
1	58/8.12.14	13वां वित्त	श्री रविन्द्र कुमार द्वारा रेत बजरी आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	66720
2	10/27.8.13	मनरेगा	श्री प्रताप सिंह द्वारा रेत बजरी गटका आपूर्ति हेतु भुगतान	29700
3	31/20.12.13	मनरेगा	श्री प्रताप सिंह द्वारा रेत बजरी आपूर्ति हेतु भुगतान	102748
			कुल	**₹199168**

ग्राम पंचायत भप्पू, विकास खण्ड इन्दौरा (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन का विवरण

(परिशिष्ट–3) (पैरा 10 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि का नाम	विवरण	अनुमानित राशि
1	VKVNY	निर्माण कम्युनिटी बाथरूम दरियाड़ी	300000
2	13वां वित्त	निर्माण रास्ता अशोक के घर से चौंक तक	224280
		कुल	₹524280